Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **दौसा में समाज कल्याण विभाग के रितेश कुमार शर्मा, वेरिफायर व उनके दलाल श्री राजू नट 30,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर,दिनांक 06 अप्रेल 2026, सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर दौसा ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **रितेश कुमार शर्मा, वेरिफायर, समाज कल्याण विभाग दौसा व उनके दलाल राजू नट को 30,000/- रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया की एसीबी चौकी दौसा को एक शिकायत इस आशय की प्राप्त हुई थी की आरोपी रितेश कुमार शर्मा, वेरिफायर व उनके दलाल राजू नट व बलवान परिवादी को अन्तरजातिये विवाह प्रोतसाहन राषि समाज कल्याण विभाग दौसा से जारी करने की एवज मे 70,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहे हैं। परिवादी को अन्तरजातिय विवाह प्रोत्साहन राशि समाज कल्याण विभाग दौसा से जारी करने की एवज में परिवादी से वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 10,000/- रूपये नगद व 30,000/- रूपये ऑनलाईन ले लिये थे।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री अनिल कयाल** के सुपरवीजन में एसीबी की दौसा ईकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री रविन्द्र सिंह** के निर्देशन में **पुलिस निरीक्षक श्री रमेश चन्द** मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी दलाल राजू नट को परिवादी से 30,000/- रूपये बतौर रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है व रितेष कुमार शर्मा को उनके कार्यालय से डिटेन कर मौके पर लाकर गिरफ्तार किया गया। दलाल बलवान गुर्जर की तलाष जारी है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** एवं **महानिरीशक पुलिस श्रीमती एस. परिमला** के सुपरविजन में पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।